



राजस्थान-सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email: dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक:-निसंशि/शैक्ष-2/पं.131 पार्ट-II/2016/रा.का.-008421/

दिनांक:-

समस्त प्राचार्य/सचिव

संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण

विद्यालय, राजस्थान

विषय:- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के आवेदन-पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा संस्कृत बीएसटीसी संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा संदेय शुल्क का पुर्नभरण किया जाता है।

इस क्रम में सत्र 2023-24 में संस्कृत बीएसटीसी संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के शुल्क पुर्नभरण हेतु सम्बन्धित का बचत खाता बैंक खुलवाकर निम्न प्रपत्र के सभी कालमों की पूर्ति कर आवेदन पत्र मय संलग्नक सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग को 15 जनवरी 2024 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शून्य की सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

प्रपत्र

क्र. सं.	संस्था का नाम	विधवा/परित्यक्ता का नाम व पता	प्रवेश तिथि	जन्म तिथि	बैंक का नाम, शाखा का नाम,पता व खाता संख्या	IFSC CODE NO.	मोबाईल नं. आधार कार्ड नं. भामाशाह कार्ड नं. पैन नं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

(डॉ. शालिनी सक्सेना)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
- सम्बन्धित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5234901

